आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

02.817

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 16/2013–14 एवं 17/2013–14
82/2013–14 83/2013–14

1. अरविन्द कुमार यादव, पिता–स्व0 विशुन यादव, सा0–पीरगंज, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया
2. शंकर यादव, पिता–सिकुन देव यादव, सा0–पीरगंज, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

1. स्टेट ऑफ बिहार
2. लखीचंद यादव, छब्बु यादव व अशोक यादव व राजेन्द्र यादव व वीरेन्द्र यादव व शालिग्राम यादव व शंभु यादव, सभी पिता–स्व0 राम प्रसाद यादव, सा0–पीरगंज, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 55/2006–07 एवं 56/2006–07 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.11.2012 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 27.9.2013 को भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब क्षांत करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 21.2.2014 को विलम्ब को क्षांत करते हुए विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि शाखा, अररिया के पत्रांक 430/वि0, दिनांक 3.3.2014 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	केवाला सं0
असराहा अंचल–कुर्साकांटा	79	1550	0.58¾	3200, दिनांक 31.3.2003
	79	1550	0.58¾	4175, दिनांक 30.4.2003

पक्षकारों को न्यायालय द्वारा सूचना निर्गत की गई। उनकी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान टुकाई गोप एवं राम प्रसाद गोप, रकवा कुल 2.35 एकड़ दर्ज है। दोनों

खतियानी रैयतों को हिस्सा 1.17½ एकड़ प्राप्त है। टुकाई गोप की मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्र किसुन देव यादव एवं विशुनदेव यादव उत्तराधिकारी हुए। उक्त 1.17½ एकड़ भूमि का आधा हिस्सा 58¾ डी0 भूमि विसुनदेव यादव ने अपने भतीजा अरविन्द यादव को विक्रय पत्र सं0 4175, दिनांक 30.4.2003 द्वारा बिक्री कर दिया गया। इसी प्रकार किशुनदेव यादव ने भी अपना हिस्सा 58¾ डी0 भूमि विक्रय पत्र सं0 3200, दिनांक 31.3.2003 द्वारा अपने भतीजा शंकर यादव को बिक्री कर दी गई। उक्त दोनों क्रेता जो आपस में चचेरे भाई है, के केवाला का दाखिल खारिज भी अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा के नामान्तरण वाद सं0 574/2003–04 एवं 666/2003–04 द्वारा होकर जमाबंदी भी दर्ज हो गया। उक्त दोनों नामान्तरण के विरूद्ध दूसरे खतियानी रैयत राम प्रसाद गोप के वारिशान लखीचंद यादव एवं अन्य विपक्षीगण द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय, अररिया में नामान्तरण अपील वाद सं0 55/2006–17 एवं 56/2006–17 दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दोनों वादों में एक पक्षीय सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 01.11.2011 को अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा के नामान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जो विधि सम्मत एवं न्याय पूर्ण नहीं है। इस न्यायालय द्वारा भी दखल कब्जा के बिन्दु पर अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा से प्रतिवेदन की माँग की गई है, जो न्यायालय को प्राप्त है और अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जमीन वर्त्तमान में परती है। अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश को निरस्त करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का कुल खतियानी रकवा 2.35 एकड़ है। जिसमे से रकवा 1.17½ एकड़ पर विपक्षी के पूर्वज राम प्रसाद गोप ने सुदभरना दिया एवं वापस लिया तथा खतियान में दर्ज कब्जादारी के अनुसार भूमि पर दखलकार होते चले आ रहे हैं। सर्वे खतियान टुकाई गोप एवं राम प्रसाद गोप के नाम दर्ज है, परन्तु खतियान के अभियुक्ति कॉलम में खेसरावार सबका अलग–अलग दखल कब्जादारी दर्शाया गया है। जिसमें खेसरा 1550 राम प्रसाद गोप के दखल में दर्शाया गया है।

खतियानधारी टुकाई गोप के वारिशान विशुन यादव एवं किशुनदेव यादव जिसके हिस्से में प्रश्नगत भूमि नहीं थी, ने अपने–अपने हिस्सा 58½ – 58½ दर्शाते हुए एक दूसरे के पुत्रों को निबंधित दस्तावेज से बिक्री कर दी गई। जिसे बिक्री करने का अधिकार नहीं था। जिस निबंधित दस्तावेज का दाखिल खारिज नामान्तरण वाद के तहत अंचल कार्यालय कुर्साकांटा से कराकर लगान रसीद भी प्राप्त कर लिया गया। विपक्षीगणों को जब जानकारी प्राप्त हुई तो इन लोगों के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 55/2006–07 एवं 56/2006–07 दाखिल किया गया और विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा

पुनरीक्षणकर्त्ता के अभिरूचि के आभाव में एक तरफा सुनवाई कर अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा के नामान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जो विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण है। न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा से माँगा गया दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन में भी अंचलाधिकारी द्वारा दर्शाया गया है कि खेसरा सं0 1550 का शेष रकवा 1.17½ एकड़ भूमि करीब 20–25 वर्षों से परती है। विवाद से पूर्व विपक्षी के पूर्वज राम प्रसाद गोप का ही दखल कब्जा था। किन्तु विवाद के वाद से जमीन पड़ती है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण है, जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता कों सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन एवं अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा के दखल–कब्जा के बिन्दु पर प्राप्त प्रतिवेदन के गहन परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मौजा–असराहा, थाना नं0 85, खाता सं0 79, खेसरा सं0 1550, रकवा 1.17½ ए0 जो पूर्ण रकवा 2.35 एकड़ का आधा भाग है, अन्य भूमि के साथ विपक्षी के पिता स्व0 राम प्रसाद गोप एवं अपीलार्थी के दादा टुकाई गोप के नाम खतियान में दर्ज है, जिसके अभ्युक्ति कॉलम में सुदभरना अशोक गुप्ता के नाम स्व0 राम प्रसाद गोप के द्वारा दिया गया दर्शाया गया है। खतियान के अभियुक्ति कॉलम में खेसरावार दोनों खतियानी रैयत का अलग–अलग दखल कब्जा दारी दर्शाया गया है। जिसके खेसरा 1550 पर राम प्रसाद गोप का दखल कब्जा अंकित है। दूसरे खतियानी रैयत टुकाई गोप के पुत्र विशुन यादव एवं किशुनदेव यादव, जिसके हिस्से में वादग्रस्त भूमि नहीं थी, ने अपने हिस्सा दर्शाते हुए 58½ + 58½ डी0 भूमि एक दूसरे के पुत्रों (भतीजा) को निबंधित दस्तावेज से बिक्री किया गया, जो अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। केवाला के आधार पर अपीलार्थीगणों द्वारा वादग्रस्त भूमि का दाखिल–खारिज अंचल कार्यालय, कुर्साकांटा से कराया गया। निम्न न्यायालय के नामान्तरण वादों में आनन–फानन में नामान्तरण आदेश पारित किया गया। नामान्तरण आदेश में न तो दखल–कब्जा का स्पष्ट प्रतिवेदन है और न ही खयितानी रैयतों के वारिशानों को सूचना दी गई। जबकि न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा से दखल–कब्जा के बिन्दु पर माँगा गया प्रतिवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा के पत्रांक 976, दिनांक 27.11.2015 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि खेसरा सं0 1550 का शेष रकवा 1.17½ ए0 भूमि विवाद के कारण परती है। विवाद से पूर्व विपक्षीगणों के पूर्वज राम प्रसाद गोप का ही दखल–कब्जा था।

अतएव अंचलाधिकारी के पारित आदेश में खामियाँ पाते हुए विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 55/2006–07 एवं 56/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 1.11.2012 को विधि सम्मत पाते हुए बहाल

रखा जाता है तथा पुनरीक्षणकर्त्तागणों के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को आवश्यक कार्यार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 112 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 02 / 08 / 2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, ~~फारबिसगंज~~ अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं0 55/2006–07 एवं 56/2006–07 (लखीचंद यादव ई0 बनाम अरविन्द कुमार यादव ई0) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.8.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया